Ref. No. ARCC/UP-5528

लखनऊ विश्वविद्यालय
एण्टी रैगिंग कमेटी
लखनऊ–226007

संख्या-2869

दिनांक 17.08.2019

माननीय कुलपति जी,

दिनांक 09.07.2019 सायंकाल 5.30 बजे सीतापुर रोड स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर के होमी जहाँगीर भाभा अर्न्तराष्ट्रीय छात्रावास में घटित घटना के सम्बन्ध में रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट।

दिनांक 09.07.2019 को सायंकाल 5.30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित होमी जहाँगीर भाभा अर्न्तराष्ट्रीय छात्रावास में घटित घटना के सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों तथा होमी जहाँगीर भाभा अर्न्तराष्ट्रीय छात्रावास में जाकर घटना की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने पर प्रतिवादी पक्ष के शिक्षक एवं छात्रों से उनके बयान लेने के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

दिनांक 09.07.2019 को विधि संकाय के शोध छात्र ने अपने से कनिष्ठ छात्रों सर्वश्री सुशील कुमार पाण्डेय एवं अंकित मिश्रा के ऊपर रैगिंग किये जाने की शिकायत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के एण्टी रैगिंग के पोर्टल में की । जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया कि होमी जहाँगीर भाभा अर्न्तराष्ट्रीय छात्रावास के अभिरक्षक डा0 किशोरी लाल भी इस घटना मे संलिप्त हैं । यह घटना विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर से सम्बन्धित थी अतएव घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय के पत्र संख्या 2339 दिनांक 11.07.2019 द्वारा अपर कुलानुशासक, द्वितीय परिसर, लखनऊ विश्वविद्यालय से इस प्रकरण पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए अविलम्ब वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया (संलग्नक–1) । कार्यालय के पत्र संख्या 2416 दिनांक 13.07.2019 द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित विधि संकाय में अध्ययनरत छात्रों/लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अन्य समस्त छात्रों से उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 16.07.2019 को प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित कुलानुशासक कार्यालय में उपस्थित होकर/अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य माध्यम से अभिमत देने हेतु सूचना विश्वविद्यालय के उभय परिसर में चस्पा/प्रसारित करवायी गयी (संलग्नक–2) परन्तु विश्वविद्यालय के उभय परिसर में अध्ययनरत कोई भी छात्र इस घटना के सम्बन्ध में अपना लिखित एवं मौखिक अभिमत देने के लिए इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ । अपर कुलानुशासक, द्वितीय परिसर लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पत्र संख्या 72/2019 दिनांक 31.07.2019 द्वारा इस घटना की अपने स्तर से जाँच कर सूचित किया कि इस घटना के प्रतिवादी सुशील कुमार पुत्र श्री सीताराम पाण्डेय एवं अंकित मिश्रा पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा उभय छात्र एल–एल0बी0 द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर अभिरक्षक, होमी जहाँगीर भाभा अर्न्तराष्ट्रीय छात्रावास से मिलने गये थे उस समय अभिरक्षक जी भोजन कर रहे थे उसी समय एक व्यक्ति आया और वह अभिरक्षक महोदय से तेज आवाज में बहस करने लगा और जब उक्त छात्रों ने बीच–बचाव करने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति यह कहते हुए वहाँ से चला गया कि मैं आप लोगों की उच्च अधिकारियों से शिकायत करूँगा । उक्त छात्रों ने अपने बयान में यह भी बताया कि उक्त घटना के समय छात्रावास का कर्मचारी श्री गजोधर भी उपस्थित था । श्री गजोधर से जब इस सम्बन्ध में पूँछताँछ की गयी तो उन्होंने बताया कि अभिरक्षक महोदय खाना खा रहे थे उसी समय एक छात्र उनसे मिलने के लिए आया, अभिरक्षक महोदय ने उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा तो उस छात्र ने अभिरक्षक महोदय के साथ बदतमीजी करते हुए धमकी देने लगा । छात्र की तेज आवास सुनकर छात्रावास के अन्य छात्र आ गये और उस छात्र को छात्रावास से बाहर चले जाने का निर्देश दिया (संलग्नक–3) । इस प्रकरण की विवेचना को गति देते हुये कार्यालय के पत्र दिनांक 03.08.2019 द्वारा दिनांक 06.08.2019 को सायंकाल 3.00 बजे कुलानुशासक कार्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय रैगिंग समिति के सदस्यों की एक बैठक आहूत किये जाने सम्बन्धी सूचना भेजी गयी (संलग्नक–4) । दिनांक 06.08.2019 को सायंकाल 3.00 बजे रैगिंग समिति के सदस्यों की बैठक सम्पन्न हुई (संलग्नक–5) ।

जिसमें समिति के सदस्यों ने निम्नलिखित निर्णय लिये :–

1. इस घटना के वादी आदर्श कुमार सिह पुत्र श्री सुरेश सिंह शोध छात्र, विधि संकाय निवासी ग्राम व पोस्ट–पूरा बाजार, जिला–फैजाबाद, उ0प्र0 ने अभिरक्षक, **होमी जहाँगीर भाभा अर्न्तराष्ट्रीय छात्रावास** के साथ छात्र मर्यादाओं के प्रतिकूल आचारण कर जिस प्रकार की धमकी दी वह सभ्य समाज के लिए कलंक है । इस छात्र द्वारा कारित कृत्य से छात्रावास के अन्तःवासी अन्य छात्रों के मस्तिक पटल पर कुप्रभाव पड़ा तथा छात्रावास में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त हो गया ।

2. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष/मुख्य अभिरक्षक जिम्मेदार होता है । यदि इन अधिकारियों के स्तर से किसी छात्र की समस्या का निराकरण न हो सके तो वह छात्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण/माननीय प्रति कुलपति जी/माननीय कुलपति जी से मिलकर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकता है, परन्तु आदर्श सिंह ने अपनी समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों के ऊपर विश्वास न कर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एण्टी रैगिंग हेल्पलाइन पर अपने कनिष्ठ छात्रों के ऊपर रैगिंग किये जाने की कपोल कल्पित शिकायत की, जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा एवं प्रतिष्ठा प्रभावित हुई ।

3. अपने लिये छात्रावास आवंटन का दबाव बनाने के लिये छोटी–छोटी बातों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत करना शोध छात्र के लिये उपयुक्त नहीं है ।

4. रैगिंग समिति के सदस्यों ने अपेक्षा व्यक्त की कि इस घटना के वादी आदर्श सिंह को कारण बताओ सूचना निर्गत कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय ।

5. रैगिंग समिति के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 2833 दिनांक 07.08.2019 द्वारा आदर्श सिंह शोध छात्र, विधि को कारण बताओ सूचना निर्गत कर दो दिन के अन्दर स्पष्टीकरण मांगा गया **(संलग्नक–6)** ।

6. दिनांक 16.08.2019 को श्री आदर्श सिंह ने लिखित रूप में जो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है उसमें इन्होंने विश्वविद्यालय अधिकारियों के ऊपर तरह–तरह के गम्भीर आरोप लगाये हैं । इस पत्र की भाषा शैली छात्र मर्यादाओं के सर्वथा विपरीत है ।

7. रैगिंग समिति के सदस्यों ने गुरूकुल की परम्परा का अनुश्रवण करते हुए आदर्श सिंह की यह प्रथम गलती मानते हुए इन्हें अपने आचरण में सुधार लाने का एक मौका देते हुये यह चेतावनी देने का सुझाव दिया कि यदि भविष्य में यह इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति करते है तो इनका विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्त कर दिया जाय ।

अतः हम लोगों का अभिमत है कि श्री आदर्श कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह शोध छात्र विधि संकाय निवासी ग्राम व पोस्ट–पूरा बाजार, जिला–फैजाबाद, उ0प्र0 पर एक वर्ष के दोनों सेमेस्टरों/कक्षाओं मे इनके द्वारा जो शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करायी जाती है उसके योग कै 10 प्रतिशत का अर्थ दण्ड लगाते हुए इनसे रूपया 100/– के भारतीय गैर न्यायिक स्टाप पेपर पर इस कार्यालय द्वारा निर्धारित आदर्श पाक्वृत्त का शपथ–पत्र ले लिया जाय । विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक यह छात्रावासीय सुविधा से वंचित रहेंगे ।

सादर आदेशार्थ प्रस्तुत।

17.8.19

(प्रो0 विनोद सिंह)

(प्रो0 संगीतारानी)

(प्रो0 गुरनाम सिंह)

(डा0 जी0 डी0सिंह)

(डा0 कमर इकबाल)

(डा0 एस0 गौतम)

(डा0 वरूण छाछर)

22/8/19

कुलानुशासक कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय

अति–आवश्यक / तत्काल

संख्या - 2339
दिनांक 11.07.2019

सेवा में,

अपर कुलानुशासक, (द्वितीय परिसर),
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ ।

महोदय,

अवगत कराना है कि आज दिनांक 11.07.2019 को दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्रकाश में आयी है कि विधि संकाय के किसी शोध छात्र से विधि पाठ्यकम में अध्ययनरत् कोई छात्र रैगिंग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के ऐन्टी रैगिंग पोर्टल में की है । यह एक गम्भीर घटना है । कृपया इस प्रकरण पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए वस्तुस्थिति से अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें ।

सधन्यवाद।

भवदीय

(प्रो0विनोद सिंह)
PROCTOR
LUCKNOW UNIVERSITY
LUCKNOW

कुलानुशासक कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

संख्या - 2516

दिनांक : 13.07.2019

आवश्यक सूचना

दिनांक 09.07.2019 को सांयकाल 05.30 बजे सीतापुर रोड स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में कतिपय कनिष्ठ छात्रों द्वारा वरिष्ठ छात्र के साथ रैगिंग किये जाने की घटना प्रकाश में आयी है। इस प्रकरण की लखनऊ विश्वविद्यालय रैगिंग समिति के सदस्यों द्वारा विवेचना की जा रही है।

अतः सीतापुर रोड स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर के विधि संकाय में अध्ययनरत् छात्रों/ लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् अन्य समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त घटना के सम्बन्ध में यदि कोई लिखित एवं मौखिक जानकारी देना चाहते है तो वे दिनांक 16.07.2019 को प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 04.00 बजे तक कुलानुशासक कार्यालय मुख्य परिसर लखनऊ विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर /अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य माध्यम से अभिमत दे सकते हैं। यह सूचना परम् गोपनीय रखी जायेगी।

(प्रो0 विनोद सिंह)
कुलानुशासक एवं अध्यक्ष
रैगिंग सीमित,ल0वि0वि0
लखनऊ

कुलानुशासक कार्यालय

द्वितीय परिसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

पत्र संख्या : 72/2019
दिनांक : 31/07/2019

सेवा में,

कुलानुशासक,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 2493 दिनाँक 20/07/2019 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहे, जो किसी शोध छात्र के साथ रैगिंग किये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि उक्त शोध छात्र के साथ रैगिंग किये जाने सम्बन्धित घटना में प्रकाश में आये सुशील कुमार पुत्र श्री सीताराम पाण्डेय छात्र एल0 एल0 बी0 द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर एवं अंकित मिश्रा पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा छात्र एल0 एल0 बी0 द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर ने अपर कुलानुशासक, द्वितीय परिसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि हम दोनों छात्र प्रोवोस्ट महोदय से मिलने गये तो उस वक्त प्रोवोस्ट महोदय भोजन ग्रहण कर रहे थे। उस समय एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था, जिसे हम लोग नहीं पहचानते थे। वह व्यक्ति किसी बात को लेकर प्रोवोस्ट महोदय से तेज आवाज में बहस कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। इसके बाद वह व्यक्ति यह कहते हुए चला गया कि मैं आप लोगों की उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा।

छात्रों ने यह भी बताया कि घटना के दौरान हॉस्टल के कर्मचारी श्री गजोधर भी मौजूद थे। श्री गजोधर से पूछताछ करने पर उन्होनें बताया कि प्रोवोस्ट महोदय खाना खा रहे थे, उसी समय उक्त छात्र आया और प्रोवोस्ट महोदय ने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा तो वो प्रोवोस्ट महोदय से बत्तमीजी करते हुए धमकी देने लगा। छात्र की तेज आवाज सुनकर छात्रावास के अन्य छात्र वहाँ पर आये और बीच बचाव करते हुए उसे हॉस्टल से बाहर कर दिया।

भवदीय
31/7/2019
(डा0 बी0 डी0 सिंह)
Addl. Proctor Incharge
Second Campus
Lucknow University
Lucknow

कुलानुशासक कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

दिनांक : 03.08.2019

आवश्यक सूचना

इस कार्यालय के पत्र संख्या 2551–2557 दिनांक 27.07.2019 द्वार दिनांक 09.07.2019 को सांय 05.30 बजे सीतापुर रोड स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में घटित रैगिंग की घटना के विवेचनार्थ दिनांक 05.08.2019 को सायं 3.00 बजे रैगिंग समिति के सम्मानित सदस्यों की एक बैठक कुलानुशासक कक्ष में आहूत की गयी थी, जो कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण निरस्त की जाती है । **अब यह बैठक दिनांक 06.08.2019 को सांय 03.00 बजे कुलानुशासक कक्ष में सम्पन्न होगी ।**

अतः रैगिंग समिति के निम्नलिखित सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया उक्त बैठक में समयानुसार प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

1. प्रो0 ध्रुव सेन सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण
2. प्रो0 संगीता रानी मुख्य अभिरक्षिका,
3. प्रो0 गुरनाम सिंह, अपर कुलानुशासक
4. डा0 बी0डी0 सिंह, अपर कुलानुशासक
5. डा0 कमर इकबाल, सहायक कुलानुशासक
6. डा0 वरूण छाछर, सहायक कुलानुशासक
7. डा0 एस0 गौतम ललित कला संकाय/कला एवं शिल्प महाविद्यालय

(प्रो0 विनोद सिंह)
कुलानुशासक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

आज दिनांक 06.08.2019 को सायंकाल 3.00 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित कुलानुशासक कक्ष में रैगिंग समिति के सदस्यों की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें रैगिंग समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1, Prof. B. D. Singh.	Law	[signature]
2. RAVI KANT PANDEY	Fine Arts	Ravi
3. SANGEETA RANI	Zoology	SRani
4. Varun chhachhar	Law	[signature]
5 Qamar Iqbal	[illegible]	[signature]
6. Vinod singh	Economics	[signature]

कुलानुशासक कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय,

पत्रांक-2833
दिनांक 07.08.2019

आदर्श सिंह
शोध छात्र विधि
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर,
लखनऊ ।

कारण बताओ सूचना

लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2019–20 में दिनांक 09.07.2019 से अध्ययन–अध्यापन कार्य शुभारम्भ हुआ था और आपने उक्त तिथि को सायंकाल 5.30 बजे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एण्टी रैगिंग हेल्प लाइन पर सन्दर्भ संख्या ए0आर0सी0सी0/यू0पी0 5528 द्वारा अपने कनिष्ठ छात्रों सुशील कुमार पाण्डेय एवं अंकित मिश्रा, छात्र एल–एल0 बी0 तृतीय वर्ष के विरूद्ध होमी जहांगीर भाभा छात्रावास द्वितीय परिसर के अन्तःवासी छात्रों द्वारा रैगिंग किये जाने एवं इस घटना में उक्त छात्रावास के अभिरक्षक डा0 किशोरी लाल की संलिप्तता सम्बन्धी कपोल कल्पित शिकायत कर दी । इस घटना की रैगिंग समिति के सदस्यों द्वारा आद्योपान्त विवेचना करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

1. आप वर्तमान सत्र में अपने लिए छात्रावास आवंटन के लिए प्रयासरत थे और जब आपको छात्रावास आवंटन में सन्देह लगा तो आपने विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर अनुचित दबाव बनाने की दृष्टि से अपने साथ रैगिंग किये जाने की शिकायत विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों से न कर सीधे राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एण्टी रैगिंग हेल्प लाइन पर कर दी ।
2. आपकी कपोल कल्पित शिकायत से न केवल विश्वविद्यालय के नवागन्तुक छात्र–छात्राओं के मस्तिष्क पटल पर कुप्रभाव पड़ा अपितु गरिमामय विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई ।
3. आपके द्वारा अपने गुरूजनों पर मिथ्या आरोप लगाने से न केवल गुरूकुल की परम्परा तार–तार हुई अपितु उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा प्रभावित हुई ।

आपका उक्त कृत्य छात्र मर्यादाओं के सर्वथा प्रतिकूल एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय आप द्वारा दिये गये अभिवचनों का भी उल्लघनं है । आपके इस प्रकार के कदाचरण से विश्वविद्यालय को अपूर्णनीय क्षति हुई ।

एतदर्थ आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में इस पत्र प्राप्ति के दो दिन के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण कुलानुशासक कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा की आपको अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना और तत्पश्चात आपका विश्वविद्यालय से पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

(प्रो0 विनोद सिंह)
कुलानुशासक एवं अध्यक्ष,
रैगिंग समिति 2019–20
लखनऊ विश्वविद्यालय